न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 07/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/66

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल, जाति ढ़ोली, निवासी कान्दरा, तहसील पाली, जिला पाली हाल निवासी बैंगलोर (कर्नाटक)		1. बंशीया पुत्र श्री मोहनलाल, जाति ढ़ोली, निवासी कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.) 2. अचला पुत्र श्री मोहनलाल, जाति ढ़ोली, निवासी कान्दरा, तहसील पाली जिला पाली (राज.) 3. भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली।

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– रेस्पो. की ओर से लक्ष्मीनारायण वैष्णव

–:: <u>नि र्ण य</u> ::–

दिनांक :– 06.05.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम कान्दरा के नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 14.04.1994 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में निवेदन किया कि गांव कान्दरा, पटवार हलका कान्दरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डली तहसील पाली की सरहद स्थित खसरा संख्या 248 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा किस्म नहरी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। अपीलाण्ट के पिता मोहन पुत्र धुला का स्वर्गवास हो जाने से जैर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसमें अपीलाण्ट का नाम दर्ज करते समय उमेश कुमार के स्थान पर अमला दर्ज कर दिया गया है लेकिन अमला नाम का कोई पुत्र मोहन के नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट के वास्तविक नाम से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि अगर जैर नामान्तरकरण भरते समय कोई विधिक त्रुटि रही हो एवं इसे विधिनुसार संशोधित किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उस का वास्तविक नाम उमेश कुमार है व जैर नामान्तरकरण दर्ज करते समय उमेश कुमार के स्थान पर अमला दर्ज कर दिया है जबकि अमला नाम का कोई पुत्र मोहनलाल के नहीं है। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि उमेश कुमार एवं अमला एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली